न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 65 / 2022 (2022 / 204)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1.गिरधारीराम पुत्र स्व. मोडाराम जी, जाति जाट, 2.सुठाराम पुत्र मोडारामजी, जाति जाट, 3.श्रीमती छोटादेवी पत्नी श्री सुठारामजी, जाति जाट, निवासीगण ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।		1.जोधाराम पुत्र पेमारामजी, जाति जाट, 2.पुखराज पुत्र पेमारामजी, जाति जाट, निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3.राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिला जोधपुर। 4.तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री किशनसिंह।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से:– अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।

अप्रार्थी संख्या 3 से 4 की ओर से सरकारी पैराकार।

दिनांक :– 16.03.2026

– : : निर्णय : : –

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है वाद पत्र के साथ में यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण दोनों सगे भाई हैं ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर (राजस्थान) के स्थायी निवासीगण है। अप्रार्थीगण भी दोनों सगे भाई एवं ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर (राजस्थान) के स्थायी निवासीगण है।

2. प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पिता मोडाराम जी व भाई सीमाराम के मोहनलाल पुत्र केवल जी जाति दर्जी निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिलाजोधपुर से वर्ष 1957 में खरीदशुदा, कब्जा व काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 32 मौजा ग्राम सालावास पटवार हल्का सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित है। प्रार्थीगण के भाई सीमाराम का बाल्यकाल में अविवाहित देहान्त हो चुका है एवं प्रार्थीगण के पिता मोडाराम जी का भी देहान्त हो चुका है एवं मौजा ग्राम सालावास में स्थित प्रार्थीगण की खरीदशुदा खसरा नम्बर 32 की कुल भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 32 रकबा 7.1386 हेक्टेयर प्रार्थी गिरधारीराम व खसरा नम्बर 32/1 रकबा 7.1386 हेक्टेयर प्रार्थी सुठाराम के नाम दर्ज चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। मौजा ग्राम सालावास में स्थित खसरा नम्बर 32 (खसरा नम्बर 32 व 32/1) की कुल भूमि मौके पर वक्त सेटलमेंट से वास्तविक रूप से 99 बीघा 16 बिस्वा चली आ रही है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश खसरा नम्बर 32 की भूमि 88 बीघा 04 बिस्वा यानि 14.2772 हेक्टेयर दर्ज चली आ रही है। ग्राम सालावास में स्थित खसरा नम्बर 32 की कुल भूमि मौके पर शुरू से ही वास्तविक रूप में 99 बीघा 16 बिस्वा थी व राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 32 की भूमि रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा खातेदार मोहनलाल पुत्र केवलजी जाति दर्जी निवासी ग्राम सालावास दर्ज चली आ रही थी, परन्तु खातेदार मोहनलाल पुत्र केवल जी का कब्जा एवं काश्त कुल भूमि रकबा 99 बीघा 16 बिस्वा पर चला आ रहा था। जिस कुल भूमि रकबा 99 बीघा 16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

बिस्वा का कब्जा खसरा नम्बर 32 की भूमि के बेचान के वक्त वर्ष 1957 में मोहनलाल पुत्र श्री केवलजी द्वारा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया है, परन्तु मोहनलाल पुत्र केवलजी द्वारा निष्पादित बेचाननामें में खसरा नम्बर 32 का नाप राजस्व रेकर्ड के अनुसार रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा ही अंकित किया गया था। बरवक्त खरीद वर्ष 1957 से प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त 99 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर निरन्तर रूप से बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के शान्तिपूर्वक तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पेमाराम जी एवं ग्राम सालावास के समस्त निवासीगणों की जानकारी में खुलमखुला चला आ रहा है, जिसके संबंध में आज से पूर्व किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई उज्र एवं एतराज नहीं किया गया है।

3. ग्राम सालावास में स्थित खसरा नम्बर 33 (33) 33/1 व 33/2) की कुल भूमि मौके पर वक्त सेटलमेंट से ही वास्तविक रूप से करीबन 65–66 बीघा ही है एवं जिस भूमि पर ही पूर्व में खातेदार पेमाराम पुत्र भूराराम जी व बाद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जोधाराम व पुखराज पिसरान पेमाराम जी एवं प्रार्थीनी संख्या 3 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 33 की भूमि त्रुटिवश 76 बीघा 12 बिस्वा होना गलत रूप से दर्ज चली आ रही है, जिसकी भी अप्रार्थीगण को शुरू से ही पूर्ण जानकारी है। ग्राम सालावास में स्थित खसरा नम्बर 33 की भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 जोधाराम पुत्र पेमाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 05 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 2 की पत्नी प्रार्थीनी संख्या 3 श्रीमती छोटीदेवी पत्नी श्री सुठाराम को करते हुए कब्जा सुपुर्द किया गया है, जिस भूमि रकबा 05 बीघा यानि 0.8094 हेक्टेयर पर कब्जा एवं काश्त प्रार्थीनी संख्या 3 व प्रार्थी संख्या 2 का ही चला आ रहा है, जो भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 33/2 के रूप में प्रार्थीनी संख्या 3 के नाम से दर्ज चली आ रही है। ग्राम सालावास का मूल खसरा नम्बर 33 वर्तमान में 3 खसरों 33, 33/1 व 33/2 में विभाजित हो चुके है। खसरा नम्बर 33 अप्रार्थी संख्या 2 पुखराज, खसरा नम्बर 33/1 अप्रार्थी संख्या 1 जोधाराम व खसरा नम्बर 33/2 प्रार्थीनी संख्या 3 श्रीमती छोटीदेवी के खातेदारी, कब्जा एवं काश्त का होना राजस्व रेकर्ड में दर्ज चले आ रहे है। ग्राम सालावास में स्थित प्रार्थीनी संख्या 3 श्रीमती छोटीदेवी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 33/2 के क्षेत्रफल रकबा 05 बीघा (0.8094 हेक्टेयर) एवं मौके पर कब्जे एवं काश्त को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 33 व 33/1 की भूमि मौके पर वास्तविक रूघ से रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा यानि 9.83421 हेक्टेयर ही है, जिस भूमि पर ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा एवं काश्त वर्षों से उनके पिता पेमाराम जी के समय से चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश खसरा नम्बर 33 व 33/1 की भूमि कमशः 6.1107 हेक्टेयर व 5.4794 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 11.5901 हेक्टेयर यानि 71 बीघा 12 बिस्वा गलत रूप से दर्ज चली आ रही है।

4. ग्राम सालावास में स्थित खसरा नम्बर 32 की भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि मोहनलाल पुत्र केवल जी जाति दर्जी निवासी सालावास से खरीदशुदा, कब्जा एवं काश्त की भूमि है, जिस खसरे की भूमि खसरा नम्बर 32 व 32/1 के रूप में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिस खसरा नम्बर 32 (32 व 32/1) की कुल भूमि यानि जोत का क्षेत्रफल मौके पर वास्तविक रूप से 99 बीघा 16 बिस्वा यानि 16.1533 हेक्टेयर है, जिस सम्पूर्ण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भूमि का कब्जा बरवक्त बेचान वर्ष 1957 में खातेदार बेचानकर्ता मोहनलाल पुत्र केवलजी द्वारा प्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके पिता मोडाराम जी को सुपुर्द किया गया था, जिस सम्पूर्ण भूमि पर आज दिन तक निरन्तर रूप से बिना किसी रूकावट एवं बाधा के शान्तिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 केपिता पेमाराम जी व ग्राम सालावास के समस्त निवासीगणों की जानकारी में खुलमखुला प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है व इस आशय की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी सालावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2022 पृष्ट संख्या 23 क्रम सं 37 दिनांक 24.05.2022 की पालना में दिनांक 27.05.2022 को तैयार करते हुए तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत की गई है परन्तु त्रुटिवश खसरा नम्बर 32 (32 व 32/1) की भूमि यानि जोत का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों में गलत रूप से 14.2772 हेक्टेयर यानि 88 बीघा 04 बिस्वा ही दर्ज चला आ रही है, जिसकी भी अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 को पूर्ण जानकारी है।

5. अप्रार्थी संख्या 1 जोधाराम पुत्र पेमाराम जी द्वारा लोगों के बहकावे में आकर एवं भुमाफियों से सरंक्षण प्राप्त कर उनके निर्देशानुसार महत्वपूर्ण व वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों को छुपाते हुए बदनियती से दिनांक 24.05.2022 को एक गलत प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश करवाने बाबत अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी से दिनांक 24.05.2022 को ही बिना प्रार्थी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये विधि विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/पृष्ट संख्या 23 क्रम सं 37 प्राप्त करते हुए हल्का पटवारी सालावास से साठगाठं करते हुए बिना प्रार्थीगण को सूचित किये सही तथ्यों को छुपाते हुए दिनांक 27.05.2022 को एक गलत रिपोर्ट इस आशय की तैयार करवाकर कि करीबन निम्न क्षेत्रफल की खसरा नम्बर 33/1 कीभूमि पर प्रार्थी संख्या 2 सुठाराम पुत्र मोडाराम जी का कब्जा चला आ रहा है –

नाप विवादित भूमि :–

उत्तर की भुजा ए से बी 511 फीट

दक्षिण की भुजा डी से सी 381 फीट

पूर्व की भुजा बी से सी 419 फीट

पश्चिम की भुजा ए से डी 487 फीट

कुल क्षेत्रफल 2,02,038 वर्गफीट यानि 11 बीघा 12 बिस्वा यानि 1.8761 हेक्टेयर।

6. हल्का पटवारी सालावास द्वारा गलत रूप से तैयार करते हुए तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 को सलंग्न करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 जोधाराम पुत्र पेमाराम द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष दिनांक 06.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 2 सुठाराम पुत्र मोडाराम व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रार्थी संख्या 2 सुठाराम पुत्र मोडाराम जी को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 जोधाराम द्वारा तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2022 व उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 एवं उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी सालावास द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

साठगाठ करते हुए तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 की जानकारी प्राप्त हई है। ग्राम सालावास पटवार हल्का सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 32 (32 व 32/1) की भूमि यानि जोत का क्षेत्रफल मौके पर वास्तविक रूप से 99 बीघा 16 बिस्वा यानि 16.1533 हेक्टेयर है परन्तु त्रुटिवश खसरा नम्बर 32 (32 व 32/1) की भूमि का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों में गलत रूप से 88 बीघा 04 बिस्वा यानि 14.2772 हेक्टेयर दर्ज चला आ रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 32 (32 व 32/1) की जोत का क्षेत्रफल 99 बीघा 16 बिस्वा यानि 16.1533 हेक्टेयर घोषित करवाने एवं उक्त कुल भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी कब्जा एवं काश्त की होना घोषित करवाते हुए राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती के जरिये खसरा नम्बर 32 (32 व 32/1) की भूमि का क्षेत्रफल 16.1533 हेक्टेयर यानि 99 बीघा 16 बिस्वा दर्ज करवाने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 33 (33, 33/1 व 33/2) की जोत का वास्तविक क्षेत्रफल 65 बीघा यानि 10.2522 हेक्टेयर है, परन्तु राजस्व अभिलेखों में खसरा नम्बर 33 (33, 33/1 व 33/2) का क्षेत्रफल गलत रूप से 12.3995 हेक्टेयर यानि 76 बीघा 12 बिस्वा दर्ज चला आ रहा है, खसरा नम्बर 33 (33, 33/1 व 33/2) का वास्तविक माप 10.2522 हेक्टेयर यानि 65 बीघा दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/पृष्ट संख्या 23, क्रम सं. 37 दिनांक 24.05.2022 की पालना में हल्का पटवारी सालावास द्वारा दिनांक 27.05.2022 को जो मौका रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित इस प्रार्थनापत्र के पद संख्या 12 में वर्णित नाप वाली जोत यानि भूमि बनाप 11 बीघा 12 बिस्वा यानि 1.8761 हेक्टेयर भूमि हल्का पटवारी द्वारा ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 33/1 की भूमि होना व उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 सुठाराम पुत्र स्व. मोडाराम जी का कब्जा एवं काश्त होना अंकित किया गया है,

पडौस वादग्रस्त भूमि :–

उत्तर में :– खसरा नम्बर 32 की भूमि स्थित है।

दक्षिण में :– खसरा नम्बर 33/1 की भूमि स्थित है।

पूर्व में :– खसरा नम्बर 33 की भूमि स्थित है।

पश्चिम में :– खसरा नम्बर 34 की भूमि स्थित है।

नाप/क्षेत्रफल वादग्रस्त भूमि :–

उत्तर की भुजा पूर्व से पश्चिम 511 फीट

दक्षिण की भुजा पूर्व से पश्चिम 381 फीट

पूर्व की भुजा उत्तर से दक्षिण 419 फीट

पश्चिम की भुजा उत्तर से दक्षिण 487 फीट

कुल क्षेत्रफल 202038 वर्गफीट यानि 11 बीघा 12 बिस्वा (1.8761 हेक्टेयर) है।

7. प्रार्थनापत्र के उपरोक्त पद संख्या 16 में वर्णित पडौस व क्षेत्रफल वाली जमीन 11 बीघा 12 बिस्वा (1.8761 हेक्टेयर) ग्राम सालावास के खेत खसरा नम्बर 32 का ही भाग एवं प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा एवं काश्त की ही भूमि है। जिस आशय की घोषणा बाबत प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत किया गया है, उसके उपरांत भी विकल्प में न्यायालय अगर इस नतीजे पर पहुँचे एवं निर्णित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 16 में वर्णित वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

ग्राम सालावास के खेत खसरा नम्बर 33 व 33/1 का हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1957 से आज दिन तक निरन्तर रूप से बिना किसी रूकावट एवं बाधा के शान्तिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पेमाराम जी व ग्राम सालावास के समस्त निवासीगणों की जानकारी में खुलमखुला प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है व इस आशय की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी सालावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2022/पृष्ट संख्या 23 क्रम सं 37 दिनांक 24.05.2022 की पालना में दिनांक 27.05.2022 को तैयार करते हुए तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, के आधार पर यानि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि के बाबत कानूनन प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1957 से आज दिन तक निरन्तर रूप से बिना किसी रूकावट एवं बाधा के शान्तिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पेमाराम जी व ग्राम सालावास के समस्त निवासीगणों की जानकारी में खुलमखुला प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है व इस आशय की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी सालावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार लूणी के आदेश कमांक/भू.अ./2022 पृष्ट संख्या 23 कम सं 37 दिनांक 24.05.2022 की पालना में दिनांक 27.05.2022 को तैयार करते हुए तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, के बेदखली बाबत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा आज दिन तक कोई वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के बाबत कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त है, जिस आशय की घोषणा के लिये भी प्रार्थीगण द्वाराअप्रार्थीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त में रूकावट एवं बाधा उत्पन्न करने का कानूनन किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में कतिपय अतिचारियों के बेदखली बाबत स्पष्ट है, जिन प्रावधानों के अनुसार अतिचारियों को भी कानूनी प्रकिया वाद के जरिये ही बेदखल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अलावा किसी भी आधार पर एवं जोर जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे एवं वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण द्वारा उपयोग व उपभोग करने, कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार की कोई रूकावट एवं बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे। जिस बाबत प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व मूल वाद पेश कर दिया है। अतः में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अलावा किसी भी आधार पर एवं जोर जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण को बेदखल नही करे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

8. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिकथनो का खण्डन किया गया, अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि ग्राम सालावास की भूमि की पैमाईश सम्वत 1999 में हुई थी खसरा नंबर 32 का रकबा 88 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 33 का रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा पैमाईश के समय दर्ज हुई है। अप्रार्थीगण ने जवाब में लिखा कि प्रार्थीगण के पूर्वज एवं प्रार्थीगण का खसरा संख्या 32 की कुल रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि पर ही मौके पर कब्जा था एवं वर्तमान में भी रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा काश्त हैं । दिनांक 12.05. 2022 को प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 33/1 व 32/1 की मध्य माठ को खुर्द बुर्द कर दी गयी एवं खसरा संख्या 33/1 के कुछ भाग पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया गया एवं विवाद उत्पन्न कर दिया जिस पर जवाबदाता अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब लूणी के यहां खसरा संख्या 33/1 की भूमि का सीमांकन हेतु आदेश करवाया गया जिस पर पटवारी हल्का ने गांव के मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में ग्राम सालावास, के खसरा संख्या 33/1 की कृषि भूमि का सीमांकन किया गया जिस सीमांकन रिपोर्ट से खसरा संख्या 33/1 की भूमि पर जो अतिक्रमण सुंठाराम द्वारा किया गया था वह उस समय तो हटा दिया गया परन्तु मौके पर खसरा संख्या 33/1 व 32/1 की भूमि के स्थायी मुटाम अंकित नहीं किये गये जिस पर जवाबदाता अप्रार्थी संख्या एक ने सूठाराम के विरूद्ध पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जो कि लम्बित हैं। ग्राम सालावास के खसरा संख्या 32 कुल रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा ही मौके पर स्थित हैं एवं राजस्व रेकर्ड में भी रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा ही दर्ज हैं एवं खसरा संख्या 33 कुल रकबा 76 बीघा 04 बिस्वा ही मौके पर स्थित हैं एवं राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज हैं जो कि मिशल बन्दोबस्त एवं गिरदावरीयां सम्वत् 2008 से वर्तमान तक से भी बखुबी प्रमाणित हैं। प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्डएवं मौके की स्थिति के विपरित जाकर यह स्वयं को अतिकमित घोषित करने का लाईसेन्स प्राप्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा हैं बार बार पदों में दोहराने से राजस्व रेकर्ड अशुद्ध नहीं होता हैं एवं मौके की स्थिति में बदलाव नहीं आता हैं बल्कि राजस्व रेकर्ड का आधार मिसल बन्दोबस्त हैं जो कि प्रार्थीगण द्वारा पेश ही नहीं की गयी हैं एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज यथा गिरदावरीयां, जमाबन्दीयां इत्यादी प्रार्थीगण द्वारा पेश की गयी हैं जिससे कि प्रमाणित होता हो कि खसरा संख्या 32 एवं 33 के रकबे में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हो। जवाबदाता अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 33 की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 1999 एवं खसरा संख्या 32 व 33 की गिरदावरीयां सम्वत् 2008 से वर्तमान तक की पेश की जा रही है जिससे यह प्रमाणित होता हैं कि खसरा संख्या 32 कुल रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 33 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा ही मौके पर स्थित हैं एवं राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी एवं नक्शें में बिल्कुल सही इन्द्राज हैं। तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 24.05.2022 की पालना में जो मौका फर्द तैयार की गयी थी वह दिनांक 12.05.2022 को खसरा संख्या 33/1 व 32/1 की मध्य माठ प्रार्थी संख्या दो द्वारा मौके पर खुर्द बुर्द करने पर अतिकमित की गयी थी जिसको हटा दिया गया लेकिन प्रार्थीगण उक्त रकबे पर पुनः कब्जा करने की नियत रखते हैं जिस कारण से ही अप्रार्थी संख्या एक द्वारा खसरा संख्या 32/1 एवं 33/1 की मध्य सीमा की स्थायी पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अनवान जोधाराम बनाम सूठाराम का पेश किया गया हैं। कृषि भूमि रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि मूल खसरा संख्या 33 का ही भाग हैं जिस पर जवाबदाता अप्रार्थीगण का ही कब्जा हैं जिस पर प्रार्थीगण विधि विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण करने की नियत रखते हैं। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 32 की कुल रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा काश्त रहा हैं यह इस बात से भी प्रमाणित होता हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जो खसरा संख्या 32 का बंटवाड़ा करते हुए खसरा संख्या 32 व 32/1 को दो भागों कुल रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा को विभक्त किया हैं । प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रतिकूल कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं क्योंकि राजस्व रेकर्ड गिरदावरी सम्वत् 2008 से वर्तमान तक यह प्रमाणित करती हैं कि खसरा संख्या 33 कुल रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा जवाबदाता अप्रार्थीगण एवं पूर्वजों के ही कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही हैं इसका समर्थन मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 1999 भी करती हैं। भू राजस्व अधिनियम के अलग प्रावधान हैं एवं काश्तकारी अधिनियम के अलग प्रावधान हैं ऐसी स्थिति में केवल मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार का गलत वाद पेश कर देने मात्र से उनको किसी प्रकार का लाईसेन्स प्राप्त नहीं हो जाता हैं कि वे अन्य काश्तकारों की कृषि भूमियों में दखल अंदाजी करें अथवा विधि विरूद्ध तरीके से काबिज रहें। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य हैं। यह हैं कि पद संख्या उन्नीस गलत होने से अस्वीकार हैं प्रार्थीगण को कतई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती हैं । प्रार्थीगण को भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती हैं क्योंकि वह न तो उक्त पडौसों के मध्य की भूमि पर काबिज हैं एवं न ही उक्त रकबे के प्रार्थीगण खातेदार हैं उक्त भाग खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5. 4794 हैक्टेयर का भाग हैं । भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को इस वाद के जरिये बाधित करने का प्रयास प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा हैं जिसमें प्रार्थीगण को कतई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती हैं बल्कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार से सुविधा का संतुलन नहीं है एवं न ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थीगण हकदार हैं एवं न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना हैं क्योंकि प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5. 4794 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार हैं बल्कि उक्त खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5.4794 हैक्टेयर कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार अप्रार्थी संख्या एक ही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य हैं

9. **अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम हैः–** कि प्रार्थीगण ने ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के मूल खसरा संख्या 33 की कुल रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो कि खसरा संख्या 33/1 का भाग हैं उसके संबंध में गलत आधारों पर वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 90 व 188 एवं प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या एक ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5.4794 हैक्टेयर कृषि भूमि का एकमात्र रेकर्डेड खातेदार हैं एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या दो ग्राम सालावास, तहसील लूणी, के खसरा संख्या 33 रकबा 6.1107 हैक्टेयर कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार हैं जिस पर बहैसियत खातेदार के अप्रार्थी संख्या एक व दो मौके पर काबिज हैं एवं काश्त करते हैं । दिनांक

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

12.05.2022 को प्रार्थी संख्या दो एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा खसरा संख्या 33/1 एवं 32/1 की मध्य माठ को खुर्द बुर्द कर दी गयी एवं खसरा संख्या 33/1 के कुछ भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने तहसीलदार लूणी के आदेश से दिनांक 27. 05.2022 को खसरा संख्या 33/1 का सीमाज्ञान करवाया गया जिससे प्रार्थी संख्या दो ने उस समय तो खसरा संख्या 33/1 की भूमि पर अनधिकृत किये गये कब्जे को हटा दिया गया लेकिन खसरा संख्या 32/1 एवं 33/1 की भूमि की मध्य माठ पर पत्थरगढ़ी नहीं होने दी जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया जो कि लम्बित हैं। प्रार्थीगण खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर जोर जबरदस्ती तरीके से कब्जा करने पर आमादा हैं जिस हेतु उन्होने यह वाद एवं प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया जो कि प्रार्थीगण की बदनियति दर्शाता हैं तथा अप्रार्थी संख्या एक को बेदखल करने पर उतारू हैं तथा प्रार्थीगण खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5.4794 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 33 की कुल रकबा 6.1107 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक को काश्त भी नहीं करने दे रहें हैं एवं कृषि कार्यों में दखल अंदाजी कर रहें हैं जिससे अप्रार्थीगण का उक्त खसरें पर काश्त करना एवं अंवेरना मुश्किल हो गया हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की भूमि हड़पने की नियत से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो को पूर्ण अंदेशा हो गया हैं कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक व दो को उक्त खसरा संख्या 33 रकबा 6.1107 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5.4794 हैक्टेयर कृषि भूमि से बेदखल करने एवं काश्त करने में रूकावट पैदा करने हेतु प्रयासरत हैं जिन्हें मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। ग्राम सालावास तहसील लणी के खसरा संख्या 33 रकबा 6.1107 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 33/1 की कुल रकबा 5.4794 हैक्टेयर कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार हैं तथा मौके पर काबिज हैं जिसमें दखलअंदाजी करने के कोई अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हैं ऐसी स्थिति में प्रथमदृ ष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पक्ष में बनता हैं तथा यदि प्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो अप्रार्थी संख्या एक व दो को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे के खारिज किया जावें एवं प्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वे ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा संख्या 33 कुल रकबा 6.1107 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 33/1 रकबा 5.4794 हैक्टेयर कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो द्वारा की जाने वाली खेती में किसी प्रकार की रूकावट प्रार्थीगण पैदा नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार से कृषि कार्यों में दखल अंदाजी करें एवं न ही अप्रार्थीगण संख्या एक व दो को खसरा संख्या 33/1 की रकबा 5.4794 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 33 की रकबा 6.1107 हैक्टेयर कृषि भूमि से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या एक व दो को बेदखल करें। अंत में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

10. यह है कि दिनांक 24.08.2022 को प्रार्थीगण ने स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया जिस पर बाद सूनवाई स्थगन आदेश जारी करना उचित प्रतीत नही पाया गया था, आदेश दिनांक 24.08.2022

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 257/2022 पेश की गई जो दिनांक 15.04.2022 को आंशिक रूप से स्वीकार कर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि आब्जरवेशन के परिपेक्ष्य में उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करे तब तक उभय पक्ष मौका फर्द दिनांक 27.05.2022 में खसरा नंबर 33/1 में दर्शित भाग मार्क ए बी सी डी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय की प्रति सहित पत्रावली अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने पर दोनो पक्षकारान द्वारा उपस्थिति दी गई और प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम का जवाब पेश करने का अवसर चाहा गया इस पर प्रार्थीगण को काउण्टर क्लेम के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, उसके पश्चात भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया था, प्रार्थीगण का जवाब काउण्टर क्लेम बंद किया गया व पत्रावली अंतिम बहस हेतु मुकर्रर की गई है, प्रार्थीगण की ओर से लिखित में बहस प्रस्तुत की गई, लिखित बहस में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किये गये कथनो को ही दोहराया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया गया है, और अंत में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मौखिक बहस की गई और अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य ही विवाद है विधिनुसार निर्णय किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मुख्य तर्क दिये गये कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 32 रकबा 88 बीघा 04 बिस्वा है जिसका खातेदार मोहनलाल पुत्र केवलजी थे ओर जिस से सन् 1957 में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 32 रकबा 88 बीघा 4 बिस्वा भूमि खरीद की गई है और प्रार्थीगण ने यह भी स्वीकार किया कि वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 33 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पेमाराम थे। अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी संख्या 3 छोटादेवी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खसरा नंबर 33 में से रकबा 5 बीघा भूमि खरीद की गई उस दस्तावेज में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का भूमि रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा पर कब्जा होना स्वीकार किया है। खसरा नंबर 33/1 क्षेत्रफल 5.4794 हैक्टेयर का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 जोधाराम है, प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 12 में यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 33/1 की भूमि जोधाराम के खातेदारी में दर्ज है उसके संदर्भ में मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 में दर्शित भू भाग मार्क ए बी सी डी रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा (1.8761 हैक्टेयर) है। प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नही है कि मार्क ए बी सी डी की भूमि खसरा नंबर 32 का भाग है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नही कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कथनो का खण्डन नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खसरा नंबर 33/1 क्षेत्रफल 5.4794 हैक्टेयर की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 में दर्शित भाग ए बी सी डी रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा (1.8761 हैक्टेयर) में अप्रार्थी संख्या 1 के उपयोग, उपभोग, कब्जा व काश्त में वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण किसी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रकार की दखलंदाजी नही करे इस आशय का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. पत्रावली में उभय पक्षकारान की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के बाद निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय किया जाता है:—

1. प्रथमदृष्टया मामला:— प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों एवं जवाब से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 32, 32/1 का रकबा रिकार्ड से मौके पर अधिक है एवं अप्रार्थी के खसरा नंबर 33, 33/1 का रकबा रिकार्ड अनुसार मौके पर नहीं होकर कम है। उभयपक्षकारान के मध्य विवाद का क्षेत्र एबीसीडी वर्णित क्षेत्र है जिसके स्वामित्व का निर्धारण वाद के अंतिम निस्तारण पर ही संभव है। अतः वर्तमान में वाद के अंतिम निर्णय तक उक्त विवादग्रस्त क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

2. अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन:— यदि वादग्रस्त क्षेत्र के स्वामित्व का निर्धारण किये जाने की प्रकिया के मध्य स्थगन को हटाया जाता है तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि मौके पर कब्जे की स्थिति में परिवर्तन के लिये उभयपक्षकारान के मध्य विवाद बढ सकता है। इससे उभयपक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रभावित होगा। अतः उक्त दोनो बिन्दु उभयपक्षकारान के पक्ष में निर्णीत किये जाते है।

आदेश

उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 33/1 क्षेत्रफल 5.4794 हैक्टेयर भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 में मार्क ABCD दर्शित भू भाग में वर्तमान मौका स्थिति की यथास्थिति वाद के अंतिम निस्तारण तक बनाये रखे। उक्त भूभाग के वर्तमान कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी अन्य पक्ष नहीं करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी